19—09—2019

अभियुक्ता श्रीमती सुनीता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—621/19 अन्तर्गत धारा—498ए,323,भा.द.सं व 3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने के निवेदन के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी ने कभी दहेज की मांग नहीं की है, और न ही कोई मारपीट की है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त वादिनी की सास, वृद्ध हैं। अभियुक्ता धारा—437 (1) दं0प्र0सं0 के परन्तुक के लाभ पाने के अधिकारी हैं। मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्ता श्रीमती सुनीता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्व ारा अंकन 25,000/—रूपये की धनराशि के दो प्रतिभू तथा समान धनराशि का निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद